(74)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आर.के. जैन**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक– एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/0869 **विरूद्ध** आदेश दिनांक 01–02–2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर सम्भाग, सागर के प्रकरण क्रमांक–714/अ–6/2011–12

.....

1– काशीप्रसाद पुत्र जगन्नाथ प्रसाद ब्राह्मण
निवासी–ग्राम मोटाखेरा तहसील धुवारा
जिला–छरपुर (म.प्र.)

2– छन्नुलाल पिता नाथूराम ब्राह्मण
निवासी–ग्राम धनगुंवा बडामलहरा
जिला–छरपुर (म.प्र.)

———आवेदकगण

विरूद्ध

1– धनप्रसाद पुत्र बैजनाथ ब्राह्मण
2– राधाचरण
3– रामकिशोर
4– ललिता प्रसाद, पुत्रगण बैजनाथ ब्राह्मण
5– श्रीमती गीता पत्नी स्व0 सुदामा
6– कुलदीप पुत्र स्व0 सुदामा
7– कल्पना
8– प्रीति
9– अमिता
10– आकृति, पुत्रीगण स्व0 सुदामा
11– जगतेन्द्र पुत्र स्व0 सरजू ब्राह्मण
12– नर्मदा बाई बेबा स्व0 सरजू ब्राह्मण
निवासीगण– ग्राम बमनोरा तहसील धुबारा
जिला–छतरपुर (म.प्र.)

31.12.2018

13– अनीता पुत्री स्व0 सरजू ब्राह्मण
हाल निवास सागर रोड धुवारा तहसील धुवारा

14– मीना बई पुत्री स्व0 सरजू ब्राह्मण
निवासी–बिजावर तहसील बिजावर
जिला–छतरपुर(म.प्र.)

———अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री सुनिल सिंह जादौन, अभिभाषक, अनावेदकगण,

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 31/12/2018 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–02–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सचिव ग्राम पंचायत दलीपुर द्वारा ग्राम दलीपुर स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं. 48, 96, 113 एवं 582/1 कुल किता 4 कुल रकबा 3.545 हैक्टेयर बैजनाथ के हित में दिनांक 15–04–2009 से नामांतरण स्वीकार किया, जिस पर आवेदक क्रमांक 1 काशीप्रसाद द्वारा तहसीलदार धुवारा के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई। तहसीलदार धुवारा ने प्रकरण क्रमांक 20/अ–6/2008–09 पर पंजीबद्ध कर दिनांक 16–05–2011 से अनावेदकगण के पक्ष में गोत्रांश के आधार पर नामांतरण स्वीकार किया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक क्रमांक 1 काशीप्रसाद द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बिजावर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 20–03–2012 से तहसीलदार के आदेश दिनांक 16–05–2011 को निरस्त करते हुये विधिक उत्तराधिकारी आवेदक क्र. 1 काशीप्रसाद एवं छन्नूलाल के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 01–02–2018 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया तथा तहसीलदार धुवारा के आदेश दिनांक 16–05–2011 को स्थिर रखा । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि के पूर्व में निर्विवादित भूमिस्वामी चिन्नाई ब्राह्मण थे। जिनके 03 पुत्र एवं 01 पुत्री धत्तु, भैयन, गौरे एवं गोरी बाई दशार्ये है। भैयन एवं गौरे लावल्द फौत हुये थे। धत्तु की एक मात्र पुत्री कोशाबाई थी, जिसका एक पुत्र छन्नू आवेदक क्र. 2, एवं गौरी बाई का एकमात्र पुत्र काशीप्रसाद आवेदक क्र. 1 थे। तहसीलदार ने अनावेदकगण के पक्ष में इस आधार पर नामांतरण किया है कि हिन्दू उत्तााधिकारी अधिनियम 1956 के प्रभावशील होने के पूर्व पुत्री को अपने पक्ष में नामांतरण कराने के अधिकार नहीं थे । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा गोत्रांश के आधार पर अनावेदकगण के पक्ष में नामांतरण स्वीकार किया गया है। प्रश्नाधीन भूमि पर काफी लम्बे समय तक मृतक बैजनाथ का नाम राजस्व अभिलेखों/प्रविष्टि में दर्ज रहा। बैजनाथ का नाम किस प्रकार आया, इसका भी कोई निराकरण किसी भी न्यायालय में नहीं किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में यह माना है कि तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 28/अ–6/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 14–03–2011 से मृतक बैजनाथ का नाम इस आधार पर निरस्त किया कि बिना किसी सक्षम अधिकारी के मृतक बैजनाथ के नाम की राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि की गई है। बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से की गई प्रविष्टि का कोई आधार एवं सार्थकता नहीं होती है। इसलिये तहसीलदार के आदेश दिनांक 14–03–2011 से मृतक बैजनाथ का नाम निरस्त कर पूर्ववत भैयन के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया । प्रकरण में चिन्नाई ब्राह्मण के वारिसों में तीन पुत्र एवं एक पुत्री का हवाला दिया गया है। जिसमें से केवल भैयन के नाम ही भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। भैयन को भूमि कब और कैसे प्राप्त हुई, इसका लेख अधीनस्थ न्यायालयों के किसी भी आदेश में नहीं किया गया है।

4/ इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि पूर्व भूमिस्वामी चिन्नाई की मृत्यु के पश्चात् सभी वारिसों में से केवल मृतक भैयन को प्रश्नाधीन भूमि किस प्रकार प्राप्त हुई । इस तथ्य का कोई प्रमाण अभिलेख में नहीं है। मृतक मूल भूमिस्वामी चिन्नाई के वारिसों में वर्तमान में धत्तु का नाती छन्नू एवं मृतक चिन्नाई की पुत्री गौरी बाई का पुत्र काशीप्रसाद, जो कि जीवित होकर प्रकरण में आवेदकगण है। तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 16–05–2011 से गोत्राश के आधार पर मृतक भैयन कि स्थानपर अनावेदक के नाम स्वीकार करने में त्रुटि की गई है, क्योंकि हिन्दू उत्तााधिकारी

अधिनियम 1956, संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 8 में स्पष्ट प्रावधान है कि निर्वसीयत मरने वाले हिन्दू पुरूष की सम्पत्ति इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगी–

क. प्रथमतः उन वारिसों को, जो अनुसूची के वर्ग 1 में विर्निदिष्ट संबंधी है।

ख. द्वितीय यदि वर्ग 1 में वारिस न हो तो उन वारिसों को, जो अनुसूची के वर्ग–2 में विर्निदिष्ट संबंधी है।

ग. तृतीयतः यदि दोनों वर्गो में से किसी में कोई वारिस न हो तो मृतक के गौत्रजों को,

घ. अन्तः, यदि कोई गौत्रज न हो, तो मृतक के बन्धुओं को,

विधि की व्यवस्था अनुसार अपीलार्थी हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 बहुवर्ग 2 (4) के उत्तराधिकारी है, तथा अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत परिभाषित खण्ड (ख) के अन्तर्गत विर्निदिष्ट सम्बन्धी है। तहसील न्यायालय ने अनावेदकगण को गौत्रांश होने से नामांतरण स्वीकृत किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। प्रथमतः तो गौत्रांश के अन्तर्गत आते नहीं, अधिक से अधिक यदि उन्हें मृतक के बन्धुओं की श्रेणी में मान भी लिया जाये तो वे अधिनियम की धारा 8 खण्ड (घ) के अन्तर्गत आते है, जिन्हें विधिक रूप से नामांतरण कराने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। तहसील न्यायालय ने साक्ष्यों एवं विधि की त्रुटिपूर्ण व्याख्या की है तथा पारित आदेश विधि सम्मत न होने से स्थिर रखने योग्य नहीं है। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने भी तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी ने वंशवृक्ष का प्रमाणीकरण किये बिना नामांतरण आदेश पारित किया है । जबकि अनुविभागीय अधिकारी को वंशवृक्ष का प्रमाणीकरण कर प्रकरण का निराकरण करना चाहिये था । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को भी उचित नहीं कहा जा सकता है। जहॉ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है? अपर आयुक्त द्वारा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में महिलाओं को वादग्रस्त सम्पत्ति में अधिकार होना न मानते हुये, अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया है। जबकि अपर आयुक्त ने विधि के प्रावधानों के समझने में त्रुटि की है। अपर आयुक्त सहित दोनों निम्न न्यायालयों द्वारा चिन्नाई ब्रा. के विधिक वारिसों का प्रमाणिकरण के प्रश्न का उचित निष्कर्ष नहीं निकाला है और चिन्नाई के पुत्र भैयन को भूमि किस प्रकार प्राप्त हुई, इसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। ऐसी स्थिति में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को उचित नहीं कहा जा सकता ।

4/5

31.12.18

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आशिंक रूप से स्वीकार की जाकर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण तहसीलदार धुवारा को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि सर्वप्रथम चिन्नाई ब्राह्मण के विधिक वारिसों का प्रमाणिकरण करें एवं सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत विधि अनुसार नामांतरण आदेश पारित करें।

6/ उभयपक्ष दिनांक 30–01–2019 को तहसील न्यायालय में उपस्थित होवे ।

31.12.2018

(आर.के. जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,